रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2346] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 2346] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

का.आ. 2926(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पता: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

प्रणहिता (काला हिरण) वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य का 1980 में स्थापित सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। यह प्राणी और वनस्पतियों की विभिन्नता का वास

स्थान है । प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य एक आदर्श काला हिरण पर्यवास है। जिसमें झाड़ियों का जंगल और मिश्रित पर्णपाती वनस्पति और फैली हुई घास भूमियां हैं ;

प्रणहिता (काला हिरण) वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यत: ऊष्ण शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन है जिसमें प्राणी और वनस्पति की प्रचुरता है । अभ्यारणय में मुख्य रूप से उपलब्ध प्राणी काला हिरण (एंटीलोप कर्बीकापरा), चौसिंगा (टैक्ट्रासेरस क्वार्डिकोर्मिस), चित्तिदार हिरण (अक्षिस-अक्षिस), भारतीय लोमड़ी (वल्पस बैंगालेंसिस), सियारय (केनिस ओरेयस), जंगली सूअर (सस क्रिस्टाटस) स्लोथ भालू (मेलूरसस उर्सिनस), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) आदि हैं और अभ्यारण्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति में टेक्टोना ग्रेंडिस, अनोजेयसिस लेटीफोलिया, टर्मिनेलिया टोम्नोटोज, स्लेसटेंथेस कोलिनस, स्टरकूलिया उरेनस, हाडविकिया विनाटा, मधुका इंडिका, लगेरस्ट्रोमिया पार्विफ्लोरा, लानिया कोरोमेंडलिका (एल. ग्रेंडिस) , टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया अर्जुना, राइटिया टिनेटोरिया, डायोस पायरोसस मेलेनोजाइलोन, स्टाइकनोज पोटेटोरम, स्ट्राइकनोस नक्स-वोमिका, पेट्रोकार्पस मारसूपियन हैं ।

और प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का संरक्षण और परीक्षण करना पारिस्थितिकीय और पर्यावरण की दृष्टि से उसमें वन्य जीव के संरक्षण, प्रसार और विकास तथा उसके पर्यावरण के लिए आवश्यक है

और अभ्यारण्य की दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर की तरफ पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रणहिता नदी के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी किनारे तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो पश्चिमी और दक्षिणी किनारे तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो उत्तरी तरफ, पश्चिमी तरफ 0.1 किलोमीटर से पांच किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के वन्य जीव अभ्यारण्य की दक्षिणी-पश्चिमी तरफ 1 किलोमीटर तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

और प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर के कतिपय क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में निर्दिष्ट करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों के वर्ग के प्रचालनों या प्रक्रियाओं, प्रचालनों या प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 0.1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 0.1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर 18^{0}92'5.96" अक्षांश और 79^{0}95 '5.54" देशांतर, पश्चिमी की ओर 18^{0}93'4.18" अक्षांश और 79^{0}82'0.67 देशांतर, उत्तर की ओर 19^{0}06'167 अक्षांश और 79^{0}84'339 देशांतर तथा दक्षिण की ओर 18^{0}82'.6.02" अक्षांश और 79^{0}91 '4.65" देशांतर द्वारा आबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन इस अधिसूचना के **उपाबंध 1** और ग्रामों की सूची **उपाबंध 2** पर उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध 3** पर उपाबद्ध है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अक्षांस और देशांतर इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध 4** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर योजना --(1) राज्य सरकार स्थानीय लोगों, के साथ परामर्श से पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन

की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्थानीय लोगों और निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों में परामर्श से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए एक जोनल मास्टर योजना तैयार करेगी ।

(2) जोनल मास्टर योजना को उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित स्थानीय सरकारों और संबंधित राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन शहरी विकास, कृषि, नगर पालिका, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन, सिंचाई, बागवानी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास को संबद्ध करके तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर योजना को निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी ।

(4) जोनल मास्टर योजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित ग्रामीण बस्तियों, शहरी बस्तियों, पूजा स्थलों, सांस्कृतिक महत्ता के क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत मनोरंजन की महत्ता के स्थान हैं, वनों की किस्म और प्रकार, उपजाऊ भूमियों, हरित क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, फलोद्यानों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों को चिन्हित करेगी ।

(5) जोनल मास्टर योजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विकास को विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की जीवन यापन की सुरक्षा का आर्थिक रूप से अनुकूल रीति में विकास का सुनिश्चय किया जा सके ।

(6) जोनल मास्टर योजना राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजैडएमसी) के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मानीटरी कृत्यों के लिए इस अधिसूचना के पैरा 4 में दिए अनुसार एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(7) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वन, उद्यान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पार्क और मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का भू-उपयोग या उनका संपरिवर्तन वाणिज्यिक या उद्योगों से संबंधित विकास कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमियों के संपरिवर्तन को राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति (एसईएसजैडएमसी) की सिफारिशों पर और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से स्थानीय नागरिकों की विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से उद्भूत आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसके अंतर्गत और पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन वर्षा जल संचयन, धरेलू उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार आदि और लघू उद्योग भी है जो प्रदूषण सड़को को चौड़ा करने और संनिर्माण कार्यकलाप जैसाकि पैरा 3 की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट है से संबंधित मद संख्या 11, 15, 23, 24 और 27 और मद संख्या 28 में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:

परंतु जनजातीय उपयोग से भूमि के परिवर्तन को गैर जनजातीय उपयोग के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों का अनुपालन किए बिना जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा

(8) हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और ऐसे ही स्थानों में पारिणामिक कटौती नहीं की जाएगी ।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी जिन्हें वह इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझती है

(10) **पर्यटन--**पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ख) पर्यटन मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों के विनियमन के लिए तैयार किया जाएगा । पर्यटन मास्टर प्लान संरक्षित क्षेत्र के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की विस्तृत धारण क्षमता अध्ययन के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । पर्यटन मास्टर प्लान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर बल देते हुए तैयार की जाएगी ;

(ग) प्रणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसोर्टों के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के 5 किलोमीटर के विस्तार तक, नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को केवल पूर्व परिभाषित और पारिस्थितिकी संवेदी प्रसुविधाओं के लिए पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(घ) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ड.) पर्यटन मास्टर प्लान जोनल मास्टर प्लान का एक संघटक होगा।

(11) भू-अभिलेखों में स्पष्ट रूप से किसी त्रुटि को दूर करने के लिए उपबंध:-

भू-अभिलेखों में किसी त्रुटि, यदि कोई है को अंतिम अधिसूचना के जारी करने के पश्चात् सम्यक् संविक्षा और राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात् ठीक किया जाएगा, ऐसा करते समय राज्य सरकार एसइएसजैडएमसी के विचारों को अभिप्राप्त करेगी । चूंकि अधिसूचना पूर्वोक्त पैरा (7) में वर्णित कतिपय उपदर्शनों के अधीन रहते हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन कर निबंधन अधिरोपित करती है, भू अभिलेखों में स्पष्ट त्रूटि को ठीक करने के लिए निर्दिष्ट तारीख अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख होगी । राज्य सरकार भू-अभिलेखों में स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने के संबंध में स्वयं का समाधान कर सकेगी । इसे वन और पर्यावरण मंत्रालय तथा एसइएसजैडएमसी को संसूचना के अधीन उक्त प्रतिवेदनों का विनिश्चय करते समय स्पष्ट रूप से जानकारी में लाया जाएगा । इस प्रकार इएसजैड में ऊपर पैरा (7) में वर्णित उपदर्शन के सिवाय भूमि उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(12) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(13) **वायु प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।

(14) **बहिस्रावों का निस्सारण :--** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(15**) ठोस अपशिष्ट :--**ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा -(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ;

(ड.) ठोस अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जलाने या भस्म करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(16) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

(17) **नैसर्गिक विरासत**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(18) मानव निर्मित विरासत स्थल- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, ढांचों , कला वस्तुओं, क्षेत्रों, ऐतिहासिक वास्तुविद्, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक महत्ता के संलग्न क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर योजनाएं तैयार की जाएंगी और जोनल मास्टर प्लान में उन्हें शामिल किया जाएगा ।

(19) प्राकृतिक जलस्रोत--सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(20) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण नीचे दिए अनुसार होगा:

(क) जोनल मास्टर योजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां कोई संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(ख) विद्यमान तीखी पहाड़ी ढलानों पर या ऐसी ढलानों पर जहां ऊंचे स्तर पर मृदा अवक्षयण होता है किसी संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

3. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप -**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25) के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं । गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने और वैयक्तिक उपभोग के लिए और सद्भावपूर्वक घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेशी टाइलों या ईंटों का विनिर्माण वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर माननीय उच्चतम न्यायालय के टी एन गोदावर्मन बनाम भारत संघ की 1995 की रिट याचिका संख्या 202 में आईए संख्या 1000 में दिए गए अंतिम आदेश के अनुसार प्रतिषिद्ध है ; अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदना और स्थानीय निवासियों की सद्भावपूर्वक वैयक्तिक उपभोग के लिए और घरेलू आवश्यकताओं के लिए देशी टाइलों या ईंटों के विनिर्माण को लागू विधियों और नियमों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकता है ।
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषणकारी नए उद्योग या विद्यमान उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
5.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना।	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।

					तथापी 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन मास्टपर प्लायन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मार्ग निर्देशों के अनुसार होगें
6.	जलाने की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	हां	-	-	
7.	जल संसाधनों जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है का वाणिज्यिक उपयोग	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
8.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	-	-	
9.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण	-	हां	-	अंडरग्राउंड केबिलिंग का संवर्धन करना।
10.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाएं	-	-	हां	जोनल मास्टर प्लान के अनुसार
11.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाए।
12.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना	-	हां	-	
13.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
14	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा।
16.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां		वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए । संवेदनशील स्थानों पर समुचित बैरियर लगाए जाएंगे।
17	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	
18.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित	हां	-	-	

	बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण				
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
20.	वायु और यानीय प्रदूषण	-	हां	-	-
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
22.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
23.	ग्रामीण दस्तकारों सहित लघु उद्योग	-	-	हां	-
24.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	प्रदूषण न करने वाली, अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग जो स्वदेशी मालों से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं ।
25.	नए काष्ठ आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
26.	गैर काष्ठ वन उत्पादों के लिए वन उत्पाद का संग्रहण	-	हां	-	-
27.	संनिर्माण क्रियाकलाप	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भुमी में संनिर्माण को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यह और कि एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा। अन्य संनिर्माण कार्यकलापों को जोनल मास्टर योजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।
28.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	-	हां	-	
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना	-	हां	-	

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए तेलंगाना राज्य के लिए, राज्य स्तरीय **पारिस्थितिक संवेदी जोन** मानीटरी समिति **(एसईएसजेडएमसी)**, नामक एक समिति का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (3) के तहत का गठन करेगी जो निम्न्लिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :

(क) मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार - अध्यक्ष ;

(ख) मुख्य वन्य जीव वार्डन, तेलंगाना सरकार - सदस्य ;

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य

(घ) सचिव या उनके प्रतिनिधि, शहरी विकास विभाग तेलंगाना सरकार, - सदस्य ;

(ड.) सचिव, पर्यावरण विभाग, तेलंगाना सरकार - सदस्य ;

(च) सचिव, वन विभाग, तेलंगाना सरकार - सदस्य

(छ) सचिव, कृषि विभाग, तेलंगाना सरकार - सदस्य;

(ज) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, तेलंगाना सरकार - सदस्य

(झ) तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला प्राकृतिक संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि, - सदस्य

(ञ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि- सदस्य ;

(ट) तेलंगाना राज्य सरकार की किसी विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ- सदस्य ;

(ठ) संबंधित जिला कलेक्टर-सदस्य;

(ड) प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी) - सदस्य;

(ढ) निदेशक राज्य पर्यावरण विभाग, तेलंगाना सरकार -सदस्य सचिव।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गई कार्रवाई की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष की 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को **उपाबंध V** में दिए गए प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हैं के अध्यधीन हैं ।

[फा. सं. 25/15/2014-ईएसजेड-आरई]

(डा. जी. वी. सुब्रहमणियम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

प्रणहिता (काला हिरण) वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का सीमा वर्णन ।

उत्तर- सीमा स्टेशन संख्या 1 जिसे मानचित्र पर "क" के रूप में दिखाया गया है से आरंभ होती है । स्टेशन सं. 1 का अक्षांश और देशांतर 19^0 06' 2.82" 79^0 84' 3.46" हैं । पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा टेढ़ी-मेढ़ी रीति से गुजरती है और स्टेशन सं. 8 पर पहुंचती है (जिसे "ख" के रूप में उपदर्शित किया गया है) जिसके अक्षांश और देशांतर 19^0 04' 4.62 " और 79^0 93' 0.55" हैं ।

पूर्व- पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा प्रणहिता नदी के किनारे के साथ स्टेशन संख्या 22 (जिसे "ग" के रूप में उपदर्शित किया गया है) दक्षिण की ओर चलती है । जिसके अक्षांश और देशांतर 18^0 86' 2.38 " और 79^0 95' 8.19" हैं ।

दक्षिण- दक्षिण की तरफ, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा प्रणहिता नदी के किनारे के साथ चलते हुए स्टेशन संख्या 26 तक है जहां ये गोदावरी नदी के साथ मिलती है और सीमा रेखा गोदावरी नदी के किनारे के साथ-साथ स्टेशन संख्या 34 (जिसे "घ" के रूप में उपदर्शित किया गया है) तक जाती है । जिसके अक्षांश और देशांतर 18^0 87' 5.45 " और 79^0 83' 7.65" हैं ।

पश्चिम- बिंदू संख्या 34 (जिसे "घ" के रूप में उपदर्शित किया गया है) से उत्तरी दिशा में ऊपर की ओर टेढ़ी-मेढ़ी रीति से गुजरती है और स्टेशन संख्या 1 पर पहुंचती है (जिसे "क" के रूप में उपदर्शित किया गया है) जिसके अक्षांश और देशांतर 18^0 87' 5.45 " और 79^0 83' 7.65" हैं।

उपाबंध-2

प्रस्तावित प्रणहिता (काला हिरण) वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के भीतर आने वाले ग्राम।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	राजस्व मंडल	जिला	समन्वयक	
				रेखांश	अक्षांश
1.	इराइपेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.87716	79.85488
2.	बोरामपल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.86603	79.86608
3.	कोल्लूर	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.84871	79.87168
4.	रामपुर	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.85500	79.88848
5.	बाबरछेलका	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.86428	79.91313
6.	देबुलबाड़ा	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.85460	79.91440
7.	बल्लमपल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.8643	79.92300
8.	रापनपल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.86512	79.94375
9.	अर्जुनगुट्टा	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.86519	79.95494
10.	अन्नारंग	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.90740	79.93815
11.	इडुलाबंडलम	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.951343	79.90247
12.	कोठा सुपाका	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.03944	79.92207
13.	अंधरमपल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.94735	79.93556
14.	बोप्पारम	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.96865	79.86328
15.	यंचापल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.02307	79.89128
16.	कोडमपेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.99524	79.81286
17.	सर्वाइपेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.95691	79.81006
18.	ईडागट्टा	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.92816	79.82127
19.	लिगन्नापेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.91156	79.87663
20.	नागमपेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.97020	79.83807
21.	रचरला	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.01905	79.87168
22.	कैथनपल्ली	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.02336	79.84700
23.	मुलकालपेट	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.02059	79.84648
24.	जंगाओ	कोटापल्ली	अदिलाबाद	19.01291	79.91564
25.	सिरसा	कोटापल्ली	अदिलाबाद	18.94079	79.94445
26.	अलगाओ	वम्मनपल्ली	अदिलाबाद	18.98893	79.92634
27.	पुल्लागांव	वम्मनपल्ली	अदिलाबाद	18.95502	79.93606
28.	रोहिलपल्ली	वम्मनपल्ली	अदिलाबाद	18.95271	79.92067

उपाबंध 3

अति बाह्य और विस्तार तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर के साथ उसकी पारिस्थितिकीय जोन सीमा का मानचित्र ।

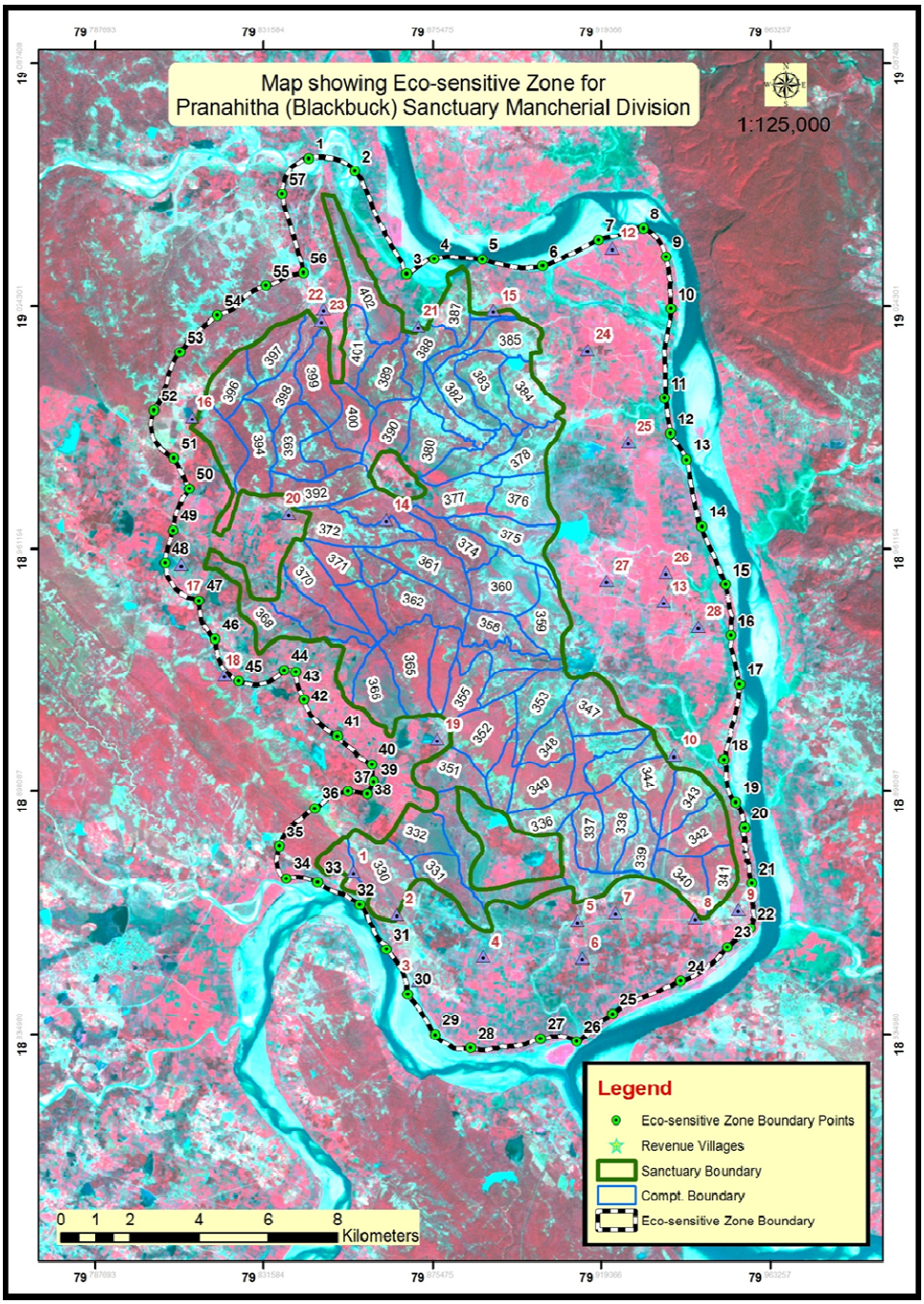

उपाबंध 4

प्रणहिता (काला हिरण) वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन को उपदर्शित करते हुए बिंदू

क्रम संख्या	अक्षांश	देशांतर	क्रम संख्या	अक्षांश	देशांतर
1.	19.06282	79.84346	30	18.84535	79.86910
2.	19.05948	79.85544	31.	18.85696	79.86364
3.	19.03287	79.86880	32.	18.86860	79.85671
4.	19.03669	79.87597	33.	18.87447	79.84576
5.	19.03655	79.88850	34.	18.87545	79.83765
6.	19.03482	79.90426	35.	18.88380	79.83574
7.	19.04157	79.91887	36.	18.89376	79.84507
8.	19.04462	79.93055	37.	18.89809	79.85360
9.	19.03724	79.93631	38.	18.89740	79.85855
10.	19.02365	79.93797	39.	18.90074	79.86028
11.	19.00038	79.93596	40.	18.90517	79.85982
12.	18.99128	79.93746	41.	18.91260	79.85083
13.	18.98448	79.94161	42.	18.92193	79.84219
14.	18.96709	79.93964	43.	18.92919	79.84000
15.	18.95188	79.95174	44.	18.92959	79.83707
16.	18.94864	79.95313	45.	18.92683	79.82514
17.	18.92596	79.95554	46.	18.93772	79.81010
18.	18.90638	79.95140	47.	18.94785	79.81489
19.	18.89530	79.95442	48.	18.95753	79.80602
20.	18.88864	79.95670	49.	18.96605	79.80821
21.	18.87413	79.95865	50.	18.97688	79.81236
22.	18.86238	79.95819	51.	18.98483	79.80838
23.	18.85765	79.95220	52.	18.99727	79.80314
24.	18.84874	79.94011	53.	18.01236	79.80994
25.	18.84014	79.92237	54.	18.02192	79.81961
26.	18.83300	79.91315	55.	18.02965	79.83228
27.	18.83369	79.90371	56.	18.03310	79.84196
28.	18.83127	79.88562	57.	18.05360	79.83643
29.	18.83482	79.87629			

उपाबंध 5

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

S.O. 2926(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Pranahita (Blackbuck) Wildlife Sanctuary is one of the oldest protected areas of the State of Telangana established in 1980. It is well known for its richness in Bio-diversity. It is an abode for a variety of flora and fauna. The Pranahita Wildlife Sanctuary is an ideal Blackbuck Habitat with scrub jungle and mixed deciduous vegetation and scattered grasslands;

And whereas, the Pranahita (Black Buck) Wildlife Sanctuary is mainly tropical dry deciduous mixed forest with rich flora and fauna. The main fauna available in the sanctuary are Blackbuck *(Antilope cervicapra)*, Chowsinga *(Tectracerus quadricormis)*, Spotted deer *(Axis-Axis)*, Indian fox *(Vulpes bengalensis)*, Jackel *(Canis aureus)*, Wild boar *(Sus cristatus)*, Sloth bear *(Melursus ursinus)*, Neelgai *(Boselaphus tragocamelus)* etc., and the main flora found in the sanctuary area are *Tectona grandis, Anogeissus latifolia, Terminalia tomentose, Cleistanthus collinus, Sterculia urens, Hardwickia binata, Madhuca indica, Lagerstroemia parviflora, Lannea coromandelica (L.Grandis), Terminalia tomentosa, Terminalia arjuna, Wrightia tinetoria, Diospyros melanoxylon, Strychnos potatorum, Strychnos nux-vomica, Pterocarpus Marsupium;*

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Pranahita Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect, propagate, and develop the wildlife therein and its environment;

And whereas, on the Southern side, Eastern side and North-Eastern side of the Sanctuary, the Eco-sensitive zone is proposed upto the Northern, Western and Southern bank of the river Pranahita, which is ranging from 0.1 kilometre to 5.0 kilometre on the northern side, western side and south-western side the Eco-sensitive zone is proposed upto 1 kilometre from the boundary of the wildlife sanctuary;

And, Whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Parnahita Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an extent of area ranging from 0.1 kilometer to 5.0 kilometer from the boundary of the Pranahita Wildlife Sanctuary as an Eco-Sensitive Zone (hereinafter called as an Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely.-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone varies from 0.1 kilometre to 5.0 kilometre from the boundary of the Pranahita Wildlife Sanctuary.

(2) The Eco-sensitive zone is bounded by 18^0 92' 5.96" latitude and 79^0 95' 5.54" longitude towards east, 18^0 93' 4.58" latitude and 79^0 82' 0.67" towards west, 19^0 06' 1.67" latitude and 79^0 84' 3.39" towards north, 18^0 82' 6.02" latitude and 79^0 91' 4.65" towards south.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure III** and the latitudes and longitudes of the Eco-sensitive Zone boundary are appended as **Annexure IV** to this notification**.**

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, in consultation with local people.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned Local Self Governments and the concerned State Departments such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Agriculture, Municipal, Revenue, Public Works Department, Telangana State Pollution Control Board, Water Resources, Irrigation, Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development for integrating environmental and ecological considerations into it.

(3) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed village settlements, urban settlements, worshipping places, areas of cultural value including recreational value, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(5) The Zonal Master Plan shall regulate the development in the Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for carryings out its functions of monitoring under the provisions of this notification as given in paragraph 4 of the notification.

(7) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population and including the activities listed at item numbers 11, 15, 23, 24 and 27, relating to rainwater harvesting, cottage industries including village artisans etc. and small scale industries not causing pollution, widening of roads and construction activity respectively, as specified in column (2) of the Table in para 3 :

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).

(8) There shall be no consequential reduction in green area such as forest area, agriculture area and the like places.

(9) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Tourism.-** The activity relating to tourism within the Eco-sensitive zone which shall for part of Zonal Master Plan shall be as under, namely:

(a) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared for regulation of tourism related activities by the State Government. The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Protected Area as well as the Eco- sensitive Zone, which may be carried out by the State Government. The Tourism Master Plan shall be in line with the guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (NTCA), Ministry of Environment and Forests on the subject and with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(c) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the Pranahita Wildlife Sanctuary. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of five kilometre of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(d) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific conditions and recommendation of the State Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee;

(e) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(11) Provision for rectification of error-apparent on the face of land records:- Correction of error apparent on the face of land records, if any, after the issuance of the final notification shall be carried out after due scrutiny and examination by the State Government, while doing so the State Government shall obtain the views of the SESZMC. As the notification imposes restriction on change of land use subject to certain stipulations mentioned in paragraph (7) above, the reference date for correction of error apparent on the face of land records shall be the date of publications of the final notification. The State Government may satisfy itself with respect to rectification of error apparent on the face of land records. The same shall be clearly brought out while deciding on the said representations under intimation to the Ministry of Environment and Forests and SESZMC. As such, no change of land use is allowed in the ESZ except the stipulation mentioned in paragraph (7) above.

(12) **Noise pollution. -** the Environment Department shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(13) **Air Pollution.-**the Environment Department shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone as per the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)..

(14) **Discharge of effluents.-**The treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(15) **Solid Wastes.-** Disposal of solid wastes shall be as under.- (a) the solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 issued by the Central Government vide notification number, S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material shall be disposed off in an environmentally acceptable manner;

(e) burning or incineration of solid wastes shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(16) **Vehicular Traffic**: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat of friendly manner and specific provisions in this regards shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is

prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the State Level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

(17) **Natural Heritage.-** The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved; the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(18) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(19) **Natural Springs.-** The catchment's area of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural setting, shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the State Government shall issue guidelines to prohibit the activities at or near these areas.

(20) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a). The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b). No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.- (1) All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely :-

TABLE

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Promoted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units	Yes	-	-	All types of mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited. Digging of earth for construction or repair of houses and manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for the domestic needs of *bona fide* needs shall also be prohibited within one Km from the boundary of the Wildlife Sanctuary as per the interim order of the Hon'ble Supreme Court in I.A. No.1000 in Writ Petition 202 of 1995 TN Godavarman Vs Union of India specify year. Provided that Beyond one Kilometer distance from the boundary from the of the Sanctuary and up to the extent of the Eco-sensitive Zone digging of earth for construction or repair of houses and manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption and for the domestic needs of *bona fide* local residents may be allowed subject to applicable laws and rules;
2.	Felling of trees	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees either on forest, Government, revenue or private lands, without the prior permission of the competent authority in the State Government (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provision of the law for the time being in force.
3.	Setting of saw mills	Yes	-	-	

4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Establishment of commercial hotels and resorts	-	Yes	-	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Wildlife Sanctuary. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
6.	Commercial use of firewood	Yes	-	-	
7.	Commercial use of water resources including ground water harvesting	-	Yes	-	(a)the extraction of water(surface and ground water) for *bona fide* agricultural and domestic consumption of the occupier of the land shall be allowed; (b) extraction of surface or ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be extracted, from the concerned Regulatory Authority(State Ground Water Board/State irrigation Department); (c) no sale of surface/ground water shall be permitted; (d) all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture;
8.	Establishment of new major hydroelectric projects	Yes	-	-	
9.	Erection of electrical cables and telecommunication towers	-	Yes	-	Promote underground cabling
10.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	-	-	Yes	As per Zonal Master plan
11.	Rain Water harvesting	-	-	Yes	Shall be actively promoted
12.	Fencing of premises of Hotels and Lodges	-	Yes	-	
13.	Organic farming	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
14.	Use of renewable energy sources	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	-	Yes	-	Shall be done with proper Environmental Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
16.	Movement of vehicular traffic at night	-	Yes	-	For commercial purpose. Suitable barriers to be erected at sensitive locations
17.	Use or production of any hazardous substances	Yes	-	-	
18.	Discharge of untreated effluents	Yes	-	-	

	and solid waste in natural water bodies or terrestrial area				
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or terrestrial area	-	Yes	-	Recycling of treated effluent be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.
20.	Air and vehicular pollution	-	Yes	-	-
21.	Commercial Sign boards and hoardings	-	Yes	-	-
22.	Adoption of green technology for all activities	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
23.	Cottage industries including village artisans etc.	-	-	Yes	-
24.	Small scale industries not causing pollution	-	Yes	-	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
25.	New wood based industry	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco Sensitive Zone.
26.	Collection of Forest produce for Non-timber Forest Product	-	Yes	-	-
27.	Construction Activities	-	Yes	-	No new construction of any kind shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Protected Area : Provided that, local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use with the prior permission from the Competent Authority. Further, beyond One kilometer upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be allowed. Other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan
28.	Use of plastic carry bags		Yes	-	-
29.	Introduction of exotic Species		Yes		

4. The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for Eco-sensitive zone notifications in the State of Telangana.-(1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee for the state of Telangana under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of following, namely:-

(a) Chief Secretary, Government of Telangana - Chairman

(b) Chief Wild Life Warden, Government of Telangana - Member;

(c) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Member;

(d) Secretary, Department of Urban Development, Government of Telangana or his representative – Member;

(e) Secretary, Environment Department, Government of Telangana – Member;

(f) Secretary, Forest Department, Government of Telangana – Member;

(g) Secretary, Agriculture Department, Government of Telangana – Member;

(h) Secretary, Rural Development Department, Government of Telangana – Member

(i) A representative of Non-governmental Organization working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Telangana (for a term of one year) – Member;

(j) A representative of State Pollution Control Board – Member;

(k) One Expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Government of Telangana - Member;

(l) Concerned District Collector – Member;

(m) Divisional Forest Officer (in-charge of Protected Area) – Member;

(n) Director, Department of Environment, Government of Telangana – Member Secretary

(2) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 3 to this notification, shall be scrutinized by the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 3 to this notification, shall be scrutinized by the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee or the District Collector or the concerned Divisional Forest Officer, in-charge of Wildlife Sanctuary shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests as per pro forma given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

5. All the provisions as provided in this Notification are subject to the existing orders, if any passed by Hon'ble Supreme Court of India, High Courts and any other court of law relating to the subject matter.

[F. No.. 25/15/2014-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

The boundary description of the Eco-sensitive Zone for Pranahita (Blackbuck) Wildlife Sanctuary

NORTH: The boundary starts from Station No.1 denoted as "A" on the map. The latitude and longitude of station No.1 is 19^0 06' 2.82" 79^0 84' 3.46" The Eco-sensitive zone boundary line runs in zigzag manner and reaches station No.8 (denoted as "B") whose latitude and longitude is 19^0 04' 4.62" and 79^0 93' 0.55".

EAST: The Eco-sensitive zone boundary runs towards south along the bank of Pranahita River upto station No.22 (denoted as "C") whose latitude and longitude are 18^0 86' 2.38" and 79^0 95' 8.19".

SOUTH: In southern side, the Eco-sensitive zone boundary runs down along the bank of Pranahita River upto station No.26 where it culminates with Godavari River and the boundary line runs along the Bank of Godavari River upto station No.34 (denoted as "D") whose latitude and longitude are 18^0 87' 5.45" and 79^0 83' 7.65".

WEST: From Point No.34 (denoted as 'D') it runs in northern upward direction in a zigzag manner and reaches a station No.1 (denoted as "A") whose latitude and longitude are 18^0 87' 5.45" and 79^0 83' 7.65".

Annexure II

Village's falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Pranahita (Black buck) Wildlife Sanctuary in Telangana.

Sl. No	Name of the Village	Revenue Mandal	District	Co-ordinates	
				Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6
1	Erraiapet	Kotapally	Adilabad	18.87716	79.85488
2	Borampally	Kotapally	Adilabad	18.86603	79.86608
3	Kollur	Kotapally	Adilabad	18.84871	79.87168
4	Rampur	Kotapally	Adilabad	18.85500	79.88848
5	Babarchelka	Kotapally	Adilabad	18.86428	79.91313
6	Devulawada	Kotapally	Adilabad	18.85460	79.91440
7	Velmapally	Kotapally	Adilabad	18.86643	79.92300
8	Rapanpally	Kotapally	Adilabad	18.86512	79.94375
9	Arjunagutta	Kotapally	Adilabad	18.86719	79.95494
10	Annaram	Kotapally	Adilabad	18.90740	79.93815
11	Edulabandam	Kotapally	Adilabad	19.94143	79.90247
12	Kotha Supaka	Kotapally	Adilabad	19.03944	79.92207
13	Andharampally	Kotapally	Adilabad	18.94735	79.93556
14	Bopparam	Kotapally	Adilabad	18.96865	79.86328
15	Yenchapally	Kotapally	Adilabad	19.02307	79.89128
16	Kondampet	Kotapally	Adilabad	18.99524	79.81286
17	Sarwaipet	Kotapally	Adilabad	18.95691	79.81006
18	Edagatta	Kotapally	Adilabad	18.92816	79.82127
19	Ligannapet	Kotapally	Adilabad	18.91156	79.87663
20	Nagampet	Kotapally	Adilabad	18.97020	79.83807
21	Racharla	Kotapally	Adilabad	19.01905	79.87168
22	Kethanpally	Kotapally	Adilabad	19.02336	79.84700
23	Mulkalpet	Kotapally	Adilabad	19.02059	79.84648
24	Jangaon	Kotapally	Adilabad	19.01291	79.91564
25	Sirsa.	Kotapally	Adilabad	18.94079	79.94445
26	Algaon	Vemanapally	Adilabad	18.98893	79.92634
27	Pullagaon	Vemanapally	Adilabad	18.95502	79.93606
28	Rohilpally	Vemanapally	Adilabad	18.95271	79.92067

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

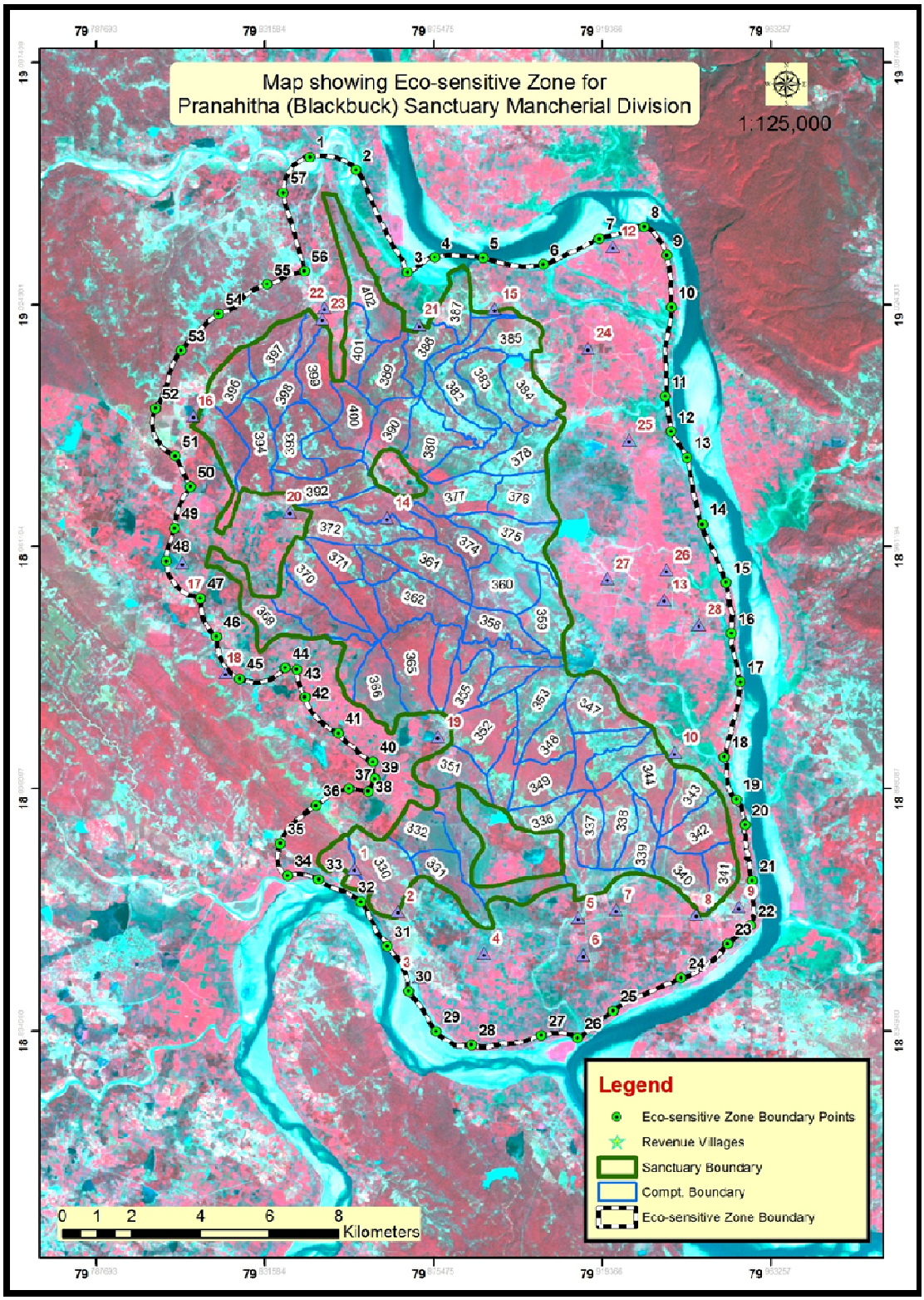

Annexure IV

Points showing the Eco-sensitive Zone for Pranahita (Blackbuck) Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude	Longitude	Sl. No.	Latitude	Longitude
1	19.06282	79.84346	**30**	18.84535	79.86910
2	19.05948	79.85544	**31**	18.85696	79.86364
3	19.03287	79.86880	**32**	18.86860	79.85671
4	19.03669	79.87597	**33**	18.87447	79.84576
5	19.03655	79.88850	**34**	18.87545	79.83765
6	19.03482	79.90426	**35**	18.88380	79.83574
7	19.04157	79.91887	**36**	18.89376	79.84507
8	19.04462	79.93055	**37**	18.89809	79.85360
9	19.03724	79.93631	**38**	18.89740	79.85855
10	19.02365	79.93757	**39**	18.90074	79.86028
11	19.00038	79.93596	**40**	18.90517	79.85982
12	18.99128	79.93746	**41**	18.91260	79.85083
13	18.98448	79.94161	**42**	18.92193	79.84219
14	18.96709	79.94564	**43**	18.92919	79.84000
15	18.95188	79.95174	**44**	18.92959	79.83707
16	18.93864	79.95313	**45**	18.92683	79.82514
17	18.92596	79.95554	**46**	18.93772	79.81910
18	18.90638	79.95140	**47**	18.94785	79.81489
19	18.89530	79.95442	**48**	18.95753	79.80602
20	18.88864	79.95670	**49**	18.96605	79.80821
21	18.87413	79.95865	**50**	18.97688	79.81236
22	18.86238	79.95819	**51**	18.98483	79.80838
23	18.85765	79.95220	**52**	18.99727	79.80314
24	18.84874	79.94011	**53**	19.01236	79.80994
25	18.84014	79.92237	**54**	19.02192	79.81961
26	18.83300	79.91315	**55**	19.02965	79.83228
27	18.83369	79.90371	**56**	19.03310	79.84196
28	18.83127	79.88562	**57**	19.05360	79.83643
29	18.83482	79.87629			

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main note worthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan (Eco-sensitive Zone wise)
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environmental Impact Assessment Notifications, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986. (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.